सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 41/2019 दायर दिनाँक 25.01.2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भँवरलाल पुत्र बालूराम, 2. रामगोपाल पुत्र बालूराम, 3. रामसिंह पुत्र बालूराम, समस्त,जाति–माली, निवासी–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नेमीचन्द पुत्र मूला उर्फ मूलचन्द, 2. तुलछी पत्नी मूला उर्फ मूलचन्द, 3. दुर्गादेवी पुत्री मूला उर्फ मूलचन्द, 4. चन्द्रकान्ता पुत्री मूला उर्फ मूलचन्द, 5. रजनी पुत्री मूला उर्फ मूलचन्द, 6. वीनाकुमार पुत्री मूला उर्फ मूलचन्द, 7. रामदयाल पुत्र बालूराम, 8. जगदीश पुत्र बालूराम, 9. श्रवण पुत्र बालूराम, 10. चुन्नीलाल पुत्र बालूराम, 11. जुगलकिशोर पुत्र बालूराम, समस्त,कौम–माली, निवासी–मोहनदासबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. उपपंजीयक डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, वादीगण।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 41/2019
दायर दिनाँक 25.01.2019, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भँवरलाल, वगैरा बनाम् नेमीचन्द, वगैरा।

दिनाँक 22.02.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 स्वर्गीय बिड़दाराम पुत्र नारायणराम के जायज वारिसान् हैं।

सरहद डीडवाना में खेत खसरा नम्बर 1506 रकबा 10.01 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 1507 रकबा 11.07 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 1509 रकबा 24.15 बीघा भूमि तथा खेत खसरा नम्बर 1510 रकबा 0.06 बीघा गैर मुमकिन बेरा, कुल रकबा 46.09 बीघा स्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 के पैतृक कब्जेकाश्त व संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता बालूराम का ही कब्जाकाश्त रहा। उक्त भूमि की बिगौड़ी अदा करते थे गिरदावरियाँ भी बालूराम के नाम से ही अंकित होती थी। नकलें पेश है।

उपर्युक्त भूमि के अलावा रि–सैटलमेन्ट के पूर्व, खसरा नम्बर 1451 रकबा 06.13 बीघा व खसरा नम्बर 1454 रकबा 02.09 बीघा व खसरा नम्बर 1502 रकबा 13.18 बीघा व खसरा नम्बर 1532 रकबा 11.01 बीघा सरहद डीडवाना विभिन्न लौगों से समय–समय पर एकल खरीद की काबिज हुए। वक्त रि–सैटलमेन्ट के पैतृक कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि एवं बालूराम की खरीसुदा भूमि कुल रकबा 80.10 बीघा का पर्चा लगान बालूराम वल्द बिड़दाराम के नाम से जारी हुआ। नकल खतौनी पर्चा लगान दावा के साथ में प्रस्तुत है।

दौनों भाइयों ने बैठकर पैतृक भूमि का दिनाँक 06.04.1987 को बन्टवारा किया जिसमें स्वर्गीय मूला उर्फ मूलचन्द के खसरा नम्बर 1507 रकबा 11.07 बीघा व खसरा नम्बर 1509 रकबा 24.15 बीघा में से उत्तरी की रकबा 10.00 बीघा भमि अर्थात् 21.07 बीघा भमि बन्ट में आई व शेष भूमि बालूराम के रही जिसकी लिखापढी इकरारनामा की। छायाप्रति पेश है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद डीडवाना में खसरा नम्बर 1507 रकबा 11.07 बीघा व खसरा नम्बर 1509 रकबा 24.15 बीघा में से उत्तरी की रकबा 10.00

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बीघा भूमि कुल रकबा 21.07 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को खातेदार घोषित किया जावे।

रक्र मि. 1451 [illegible] खसरा नम्बर 1454 रकबा 02.09 बीघा व खसरा नम्बर 1502 रकबा 13.18 बीघा व खसरा नम्बर 1506 रकबा 10.01 बीघा व खसरा नम्बर 1509 रकबा 24.15 बीघा में से रकबा 14.15 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 1510 रकबा 06.00 बीघा व खसरा नम्बर 1532 रकबा 11.01 बीघा में से हाइवे में गयी भूमि (नये खसरा नम्बर 3822 / 1532 रकबा 01.09 बीघा व खसरा नम्बर 1532 रकबा 05.14 बीघा कुल रकबा 07.07 बीघा भूमि) को छोडते हुए रकबा 07.07 बीघा भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 10 को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण भँवरलाल व रामगोपाल तथा रामसिंह पुत्रगण स्वर्गीय बालूसिंह निवासी–मोहनदासबास डीडवाना की ओर से शपथ–पत्र, अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश हुए।

विद्वान वकील वादीगण की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वादीगण जरिये वकील निवेदन किया कि, वाद में किसी पक्षकार को कोई उजर आपत्ति नहीं है इसलिए बावजूद सम्मन तामिलगी के उन्होंने वाद में कोई जवाब या आपत्ति पेश नहीं की है। वाद वर्णित भूमि अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने बन्ट में आये हिस्से भूमि पर काबिजकाश्त है मगर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से अनुसार दर्ज नहीं है जिसको दर्ज करवाने बाबत हस्तगत वाद पेश करना पड़ा है। अतः वाद अनुतोष माफिक भूमि की खातेदारी हिस्सेदारान् बन्टधारियों के हक में घोषित की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादी की इस्तदुआ है कि, अनुतोष वादीगण अनुसार पक्षकारान के हक में खातेदारी घोषित की जावे जिसमें किसी पक्षकार द्वारा कोई उजर आपत्ति पेश नहीं है। वादीगण ने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 04 के शपथ–पत्र पेश कर दिये है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 41/2019
दायर दिनाँक 25.01.2019, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भँवरलाल, वगैरा बनाम् नेमीचन्द, वगैरा।

करने के बाद व विद्वान वकील वादीगण की सारगर्भित बहस पर मनन् किया जाकर तथा वादीगण द्वारा पेश साक्ष्यों का विश्लेषण करने के मद्दे नजर व इन विश्वास करते हुए, वादीगण का वाद माफिक अनुतोष वादीगण के डिक्री किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वादीगण का वाद, निम्न आदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता है:–

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डीडवाना के वादग्रस्त खसरान् का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदार के स्थान पर, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि–

1. खसरा नम्बर 1507 रकबा 11.07 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर, ख. नं. 1458 सम्पूर्ण 1454 रकबा 02.09 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1502 रकबा 13.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1506 रकबा 10.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1510 रकबा 06.00 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 3822/1532 रकबा 01.09 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1532 रकबा 05.14 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 1509 रकबा 24.15 बीघा में से, रकबा 10.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को तथा शेष रकबा 14.15 बीघा भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त पैरा में घोषित खातेदारान् के अलावा वर्तमान के दर्ज अन्य खातेदारान् का नाम हटाया जाता है। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के खातेदारीसुदा व कब्जाकाश्तसुदा भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **22.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **41/2019**

दायर दिनाँक **25.01.2019**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भँवरलाल पुत्र बालूराम, 2. रामगोपाल पुत्र बालूराम, 3. रामसिंह पुत्र बालूराम, समस्त,जाति–माली, निवासी–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नेमीचन्द पुत्र मूला उर्फ मूलचन्द, 2. तुलछी पत्नी मूला उर्फ मूलचन्द, 3. दुर्गादेवी पुत्री मूला उर्फ मूलचन्द, 4. चन्द्रकान्ता पुत्री मूला उर्फ मूलचन्द, 5. रजनी पुत्री मूला उर्फ मूलचन्द, 6. वीनाकुमार पुत्री मूला उर्फ मूलचन्द, 7. रामदयाल पुत्र बालूराम, 8. जगदीश पुत्र बालूराम, 9. श्रवण पुत्र बालूराम, 10. चुन्नीलाल पुत्र बालूराम, 11. जुगलकिशोर पुत्र बालूराम, समस्त,कौम–माली, निवासी–मोहनदासबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. उपपंजीयक डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक **22.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी, वकील, वादीगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डीडवाना के वादग्रस्त खसरान् का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदार के स्थान पर, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

1. खसरा नम्बर 1507 रकबा 11.07 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. खसरा नम्बर 1454 रकबा 02.09 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1502 रकबा 13.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1506 रकबा 10.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1510 रकबा 06.00 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 3822/1532 रकबा 01.09 बीघा सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1532 रकबा 05.14 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. खसरा नम्बर 1509 रकबा 24.15 बीघा में से, रकबा 10.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को तथा शेष रकबा 14.15 बीघा भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त पैरा में घोषित खातेदारान् के अलावा वर्तमान के दर्ज अन्य खातेदारान् का नाम हटाया जाता है। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के खातेदारीसुदा व कब्जाकाश्तसुदा भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **22.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner